-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 310 ग्राम अवैध स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रूपये), 02 मोबाइल फोन, 920/- रूपये नकद व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02/05/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1. नदीम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला नवाब दरवाजा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली व 2. सरवर उर्फ भूरा पुत्र इरशाद उर्फ सादा निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर हाल निवासी आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली** को विद्यार्थी तिराहे से तीतरो की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 310 ग्राम अवैध स्मैक (**अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रूपये**), 02 मोबाइल फोन, 920/- रूपये नकद व 01 मोटरसाइकिल (**नदीम उपरोक्त के कब्जे से 110 ग्राम स्मैक तथा अभियुक्त सरवर उर्फ भूरा के कब्जे से 200 ग्राम नाजायज स्मैक**) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0 147/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया गया कि हम दोनो व हमारा 01 अन्य साथी स्मैक बेचने का काम करते है। आज भी यह स्मैक हम गंगोह बाईपास पर रात्रि मे आने जाने वाले ट्रक ड्राईवर व नशा करने वाले व्यक्तियो को बेचने के लिए जा रहे थे तथा आप पुलिस वालो को चैकिंग करता देख पकडने जाने डर से भाग लिए थे। यह स्मैक हमारे द्वारा कुछ समय पूर्व दो अन्य लोगो से जिनका नाम व पता हम लोग नही जानते है, से थोड़ी- थोड़ी करके खरीदी थी। आज जब हमे लगा कि काफी स्मैक इकट्ठी हो गयी है तो हम इसे ट्रक ड्राईवरो को बेचने के लिए बाईपास पर आये थे। स्मैक को हम अच्छे दामो मे बेच देते है। जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- नदीम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला नवाब दरवाजा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली

2- सरवर उर्फ भूरा पुत्र इरशाद उर्फ सादा निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर हाल निवासी आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली

बरामदगी का विवरण-

- 310 ग्राम नाजायज स्मैक
- 02 मोबाइल फोन
- 920/- रूपये नकद

➢ 01 मोटरसाइकिल (यूपी 19 पी 8348)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:03.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 580 ग्राम अवैध स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1. महरून पुत्र जाहिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारानपुर व 2. शौकीन पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम चढ़ाव के पास आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 580 ग्राम अवैध स्मैक (**अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रूपये**) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 132/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम दोनो अपने दो अन्य साथियों के साथ एक व्यक्ति से स्मैक खरीद कर ला रहे थे। पुलिस को चैकिंग करते देख हमारे दो साथी मौके से भाग गये थे। जो हमारे साथी भागे है उनके पास भी स्मैक है। हम चारो लोग आज से पहले भी स्मैक खरीद कर लाते रहे है। हम लोग पहले एक दूसरे से फोन पर व्हाटसप कॉल करके वार्ता कर स्मैक खरीदने व बेचने के बारे मे जानकारी कर लेते है। बात होने के बाद ही हम लोग उस व्यक्ति से स्मैक खरीदने जाते थे। और फिर स्मैक की छोटी छोटी पुडिया बनाकर नशा करने वाले लोगो को बेच देते है। इस काम में हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है। स्मैक बेचकर जो पैसा मिलता है उसको बराबर हिस्सो में बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. महरून पुत्र जाहिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारानपुर
2. शौकीन पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 560 ग्राम स्मैक (अभियुक्त महरून से बरामद)
- 20 ग्राम स्मैक (अभियुक्त शौकीन से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 791 राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 301 प्रवीण ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
8. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
9. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 03.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के मामले में 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त जुल्फकार उर्फ भुट्टू पुत्र फरचन्द निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 277/01 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में ग्राम हुसैनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जुल्फकार उर्फ भुट्टू पुत्र फरचन्द निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 894 अंकित थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. का0 1773 राहुल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांक 03.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला से टप्पेबाजी/ठगी की घटना का अनावरण करते हुए 01 टप्पेबाज अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से कुल 17,800/- रुपये बरामद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

अवगत कराना है कि दिनांक 06.03.2025 वादिया श्रीमति रंजना जैन पत्नी राकेश निवासी जैन बाग सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया को अपनी बातो मे उलझाकर धोखघडी से वादिया का पर्स ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 112/2025 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन टप्पेबाजी/ठगी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में महिला से टप्पेबाजी की घटना का अनावरण करते हुए 01 ठग/टप्पेबाज **अभियुक्त इमरान खान उर्फ राजा पुत्र मौहम्मद सलीम निवासी 884 रामराज सैफपुर फिरोजपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ** को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित पथरिया पीर वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 17800/- रूपये नकद (जिसमे 500 के 35 नोट व 200 के 01 नोट व 100 के 01 नोट) बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर मैंने अपने साथी के साथ मिलकर कुछ दिन पहले घंटाघर की ओर जाने वाली सडक पर शाम के समय इसी मोटरसाइकिल पर एक महिला के पर्स ठगा था तथा बताया कि जो पैसे आपको मेरे पास से मिले है यह उसी महिला के सोने के सामान को बेचकर मेरे हिस्से में आये थे जिसमे से कुछ मैंने खर्च कर लिये व यह उन्ही में से बचे हुए पैसे है। मोटर साईकिल नं0 UP-15-EN-5773 के बारे मे पूछा तो इमरान उपरोक्त ने बताया कि यह मोटर साईकिल मेरी है। हम इसी मोटरसाईकिल से धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

इमरान खान उर्फ राजा पुत्र मौहम्मद सलीम निवासी 884 रामराज सैफपुर फिरोजपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरणः-

- 17800/- रूपये (पर्स में मिले सोने चांदी के जेवर बेचकर मिले पैसे से अभियुक्त के हिस्से आये पैसो में से बचे)
- 01 मोटरसाइकिल सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट (घटना में प्रयुक्त UP15EN5773)

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 283 हिमांशु थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0का0 275 सचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 302 राहुल मलिक थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 03.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर लूटेरा/अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से 01 तमंचा /01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2024 को वादी श्री नरेश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुरकी लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर वादी के भाई मोहर सिंह को घायल कर देने तथा वादी की माता के कान के कुण्डल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0-383/24 धारा- 309(6) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट/चोरी/डकैती आदि घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट प्रयवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अर्जुन पुत्र वकील नाथ निवासी ग्राम ताजेवाला डेरा थाना खिजराबाद जिला यमुना नगर (हरियाणा)** को ग्राम नौगांवा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा /01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 176/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 01/02.12.24 की रात्रि में मैंने अपने 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम कादरपुर में एक घर में घुसकर लूट की घटना की थी। जिस समय हम लूट कर रहे थे तो घर में सो रहा बुजुर्ग व्यक्ति नींद से जाग गया जिसे हमने मारपीट कर घायल कर दिया। व घर में सो रही बुजुर्ग महिला से कुण्डल छीनकर तथा घर में रखे 52000/- रुपये लूट कर भाग गये थे। जिसमें से मेरे हिस्से में 15000/- रुपये आये थे जो मैंने खर्च कर दिए। आज जब मैं किसी काम से कहीं जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र वकील नाथ निवासी ग्राम ताजेवाला डेरा थाना खिजराबाद जिला यमुना नगर (हरियाणा)

बरामदगी –

- 01 तमंचा / 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 383/24 धारा- 309(6)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1325 प्रदीप कुमार बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत आपराधिक घटनाओं करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 अभियुक्त **बसंत कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम भनेडाखेमचन्द थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को गांव भनेडाखेमचन्द के पास से गिरफ्तार किया गया एंव धारा 170 बीएनएस में शांति व्यवस्था भंग में चालान किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बसंत कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम भनेडाखेमचन्द थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम –

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांकः- 03.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से 01 अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही पर लूटे गये 4,42,000/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.04.2025 को वादी अभिषेक त्यागी पुत्र सुभाष चन्द्र त्यागी निवासी शारदा नगर सर्किट हाउस रोड थाना कुतुबशोर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दो मोटरसाईकिल पर सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी से 01 बैग (जिसमे 5,92,000/- रूपये, वादी व वादी के भाई के आधार, पैन , डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक की पासबुक चैकबुक) लूट कर ले जाना तथा वादी के भाई आशीष त्यागी द्वारा विरोध करने पर पैर व सीने मे गोली मार देना जिससे वादी के भाई आशीष की मृत्यू हो जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 116/2025 धारा 103(1) / 309(6) / 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट/चोरी/डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.05.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से अभियुक्त **आकाश उर्फ गोल्डी पुत्र राजपाल निवासी मोहन कालोनी अशोक विहार कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदेही पर अम्बाला रोड बोन्सा पुलिया से बिडवी जाने वाले रास्ते पर अलीपुर पुलिया के पास ईख के खेत मे छुपाये गये 4,42,000/- रुपये बरामद किये। दिनांक 14.04.2025 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 04 अभियुक्त **1. सहदेव उर्फ धोल्ला पुत्र ईश्वर निवासी टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 02. अनुज कुमार पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 3. आकाश उर्फ गोल्डी पुत्र राजपाल निवासी मो0 मोहन कालोनी अशोक विहार कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर 4.अमनदीप पुत्र आजाद निवासी टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया था।** जिनके कब्जे से आधार, पैन , डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैक की पासबुक, चैकबुक व 1,50,000/- रुपये नगद बरामद हुए थे।मुकदमा उपरोक्त में लूट की धनराशि शत प्रतिशत बरामद की जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुलिस टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2.है0का0 632 उत्तम राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4.का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक 03-05-25

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा गैर इरादत्न हत्या के मामले में 05 अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का कारावास व 01 लाख 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 07.08.17 को वादी श्री पदम सिंह पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम साखन कलां थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के भाई को अभियुक्तगण 1.लेखराज पुत्र शंकर 2.संजय पुत्र लेखराज 3.मोनू पुत्र लेखराज 4. अजय पुत्र लक्ष्मीचन्द समस्त निवासीगण साखन कलां थाना देवबन्द 5.ब्रिजेश पुत्र धन्ना उर्फ ईश्मसिंह निवासी नन्हेडा वेद बेगमपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर 6.बिन्दर उर्फ रविन्द्र पुत्र बिरमसिंह निवासी भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उपरोक्त द्वारा एकराय होकर वादी के भाई को सिर पर चोट मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना, गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना मु0अ0सं0-762/2017 धारा 147,148,323,504,506,308 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया।उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 678/2017 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPEARTION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश -देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 03.05.2025 को अभियुक्तगण 1.संजय पुत्र लेखराज 2.मोनू पुत्र लेखराज 3. अजय पुत्र लक्ष्मीचन्द 4.ब्रिजेश पुत्र धन्ना उर्फ ईश्मसिंह 5.बिन्दर उर्फ रविन्द्र पुत्र बिरमसिंह के मु0अ0स0-762/17 धारा 147,148,323,504,506,304 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्तगण को सजा 10 वर्ष का कारावास व 01 लाख 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल शर्मा
विवेचक-उप निरी0 मुकेश कुमार दिनकर
पैरोकार है0का0-180 कपिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।